Anti Sexual Harassment Policy

Anti Sexual Harassment Policy - दर्शना महिला कल्याण समिति छतरपुर(म0प्र0)

कार्यस्थल लैंगिक शोषण नीति

संस्था में कार्यरत टीम वेतनिक या अवेतनिक के लैंगिक शोषण के खिलाफ नियमावली

दर्शना महिला कल्याण समिति में कार्यरत महिला या पुरूषों का यदि कार्यस्थल पर या, कार्य के समय के दौरान क्षेत्र भ्रमण में यदि लैंगिक शोषण होता हैं तो संस्था उस पर कार्यवाही करेगी साथ ही संस्था ऐसा वातावरण तैयार करेगी जिससे लैंगिक शोषण न हो।

लैंगिक शोषण क्या है – सदियों से यौन उत्पीडन की घटनाऐं अलग–अलग तरह की होती रही है। सामन्य ढंग से इसे इस तरह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा आचरण है। जिसकी प्रक्रति कामुन होती है। और यह सामने वाले इच्छा के वितरीत उस पर थोपा हुआ और एक तरफा होता है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन व्यक्ति की नौकरी, तरक्की और व्यक्तिगर सुख पर बेहद बुरा प्रभाव डालता है और साथ ही कार्यालय के वातावरण को उसके लिए डरावना शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक बना देता है।

पीडित पर पडने वाले प्रभाव को आधार मानकर यौन उत्पीडन की व्याख्या की जाती है न कि परेशान करने वाले के इरादे के आधार पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय यौन उत्पीडन की व्याख्या करते हुए कहता है कि यह किसी भी प्रकार का अवांछित कामुन व्यवहार है जो पूरी निश्चलात्मकता के साथ किया जाता है जैसे कि :–

- शरीर छूना और सटने की कोशिश करना।
- यौनिक स्वीकृति की मांग करना या अनुरोध करना।
- यौन जनित फब्तियां कसना।
- अश्लील चित्र दिखाना।
- किसी भी प्रकार का अवांछित शरीरिक, शाब्दिक या इशारे से किया गया कामुन प्रबृत्ति का व्यवहार।
- बाहर मिलने के लिए दबाब बनाना।
- टेलीफोन करना, मेल भेजना।

Treasurer
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

Anti Sexual Harassment Policy - दर्शना महिला कल्याण समिति में Sexual Harassment रोकने या उस पर कार्यवाही करने हेतु एक कमेटी बनेगी जिसमें बोर्ड से दो सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होगी इसके अलावा आवश्यकता तथा बोर्ड की सहमति के अनुसार एक सदस्य बाहरी जैसे वकील, पुलिस आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यरत स्टाफ टीम से एक महिला और पुरूष शामिल होगें।

कमेटी की बैठक – उक्त कमेटी की बैठक 6 माह में एक बार होगी यदि आवश्यकता होती है तो इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

निर्णय – कमेटी का निर्णय संस्था बोर्ड के पास जायेगा जो कि उक्त निर्णय को लागू करेगी यदि निर्णय से बोर्ड संतुष्ट नहीं है तो पुनः वापिस ASHC का वापिस भेजेगा लेकिन दो बार वापिस करने के बाद यदि ASHC पुनः उसी निर्णय को भेजती है तो बोर्ड को निर्णय लागू करना होगा।

समिति सदस्यों के विरूध्र Sexual Harassment का प्रकरण आता है वह सदस्य उस प्रकरण से संबंधित प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है उसके स्थान पर बोर्ड किसी अन्य सदस्य को उस प्रकरण के लिए शामिल कर सकता है।

अपराध के आधार – समिति अपराध के आधार पर सजा का निर्णय लेगी सजा अर्थदण्ड भी हो सकती है। अपराध के आधार पर पुलिस को भी मामला दिया जा सकता है।

समिति द्वारा वातावरण निर्माण – समिति संस्था में अपने विभिन्न तरीके से इस तरह का माहौल बनायेगी ताकि संस्था में लैगिक शोषण न हो।

समिति में सदस्यों का चयन बोर्ड द्वारा किया जायेगा यह समिति दो वर्ष के लिए होगी इसके बाद बोर्ड के निर्णय के आधार पर इसके सदस्यों को बदला जा सकता है।

यदि कोई सदस्य कार्यकाल के बीच ही समिति से इस्तीफा देता है तो उसके स्थान पर नया सदस्य रखने का अधिकार बोर्ड के पास होगा।

यदि किसी सदस्य को हटाना है तो ASHC की सहमति स्पष्ट न होने की स्थिति में बोर्ड निर्णय लेगा।

यदि कोई कर्मचारी समिति के निर्णय को नही मानेगा तो उसका केश पुलिस में दिया जायेगा।

Treasurer
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

आवेदन प्रक्रिया :–

- समिति को पीडित यदि लिखित रूप से शिकायत देती/देता है तो उस पर कार्यवाही समिति करेगी ।
- **स्वतः संज्ञान लेना** – समिति अपनी जानकारी के आधार पर संज्ञान ले सकती है यदि समिति को सूचना जानकारी मिलती है तो समिति उक्त पर संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकती है।
- पीडित पूर्ण रूप से स्वतंत्र है की वह संस्था के अलावा कही और शिकायती आवेदन दे सकता है ।

कार्यवाही – 1. लिखित आवेदन के आधार पर पिडित एवं आरोपित दोनों पक्षों को समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना होगा । समिति के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत समिति निर्णय लेगी की पिडित के द्वारा लगाये गये आरोप, आरोपी पर सही साबित होते हैं तो संस्था आरोपी कर्मचारी को पूर्व में अनुबंधित शर्तो के आधार पर पद से पृथक करने की कार्यवाही करेगी साथ ही पिडित को कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र कर देगी ।

2. प्रथम दृष्टया आरोपों की गंभीरता को देखते हुये आरोपित व्यक्ति की उक्त अवधि के वेतन के भुगतान को समिति के निर्णय अनुसार रोका जा सकता है ।

3. प्रथम दृष्टया अपराध संगेय श्रेणी में आता है और पिडित को चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है तो समिति पिडित को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हुये मामला पुलिस को सौंपेगी ।

4 समिति शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखेगी ।

- समिति उक्त नियमावली में समय समय पर आवश्यक बिन्दू बोर्ड की सहमति से जोड सकती है ।

प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 25/09/2011 को आम सभा में अनुमोदित ।

Treasurer
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

प्रस्ताव

अनुमोदित – नियमावली अनुसार बोर्ड द्वारा ASHC समिति के लिए नामों की घोषण की गई है।

दिनांक 08/05/11 की बैठक में सभी सदस्यों ने राजेश गुप्ता के प्रस्ताव पर ASHC का गठन किया गया। समिति अपने नियमोनुसार कार्य करेगी।

इस हेतु बोर्ड से

1. श्रीमती प्रभा वैध (सचिव दर्शना महिला कल्यांण समित) – सदस्य
2. श्री राजेश गुप्ता (कोषाध्यक्ष दर्शना महिला कल्यांण समित) – सदस्य

नियमावली अनुसार कार्मचारियों में से

1. श्री उमाशंकर रिछारिया
2. श्रीमती मनीषा गुप्ता

इस तरह चार ASHC का गठन किया गया जिसमें

1. श्रीमती प्रभा वैध (सचिव दर्शना महिला कल्यांण समित) – सदस्य
2. श्री राजेश गुप्ता (कोषाध्यक्ष दर्शना महिला कल्यांण समित) – सदस्य
3. श्री उमाशंकर रिछारिया
4. श्रीमती मनीषा गुप्ता

अतः उक्त समिति नियमित रूप से कार्य करेगी यह संकल्प सदस्य ने लिया।

Treasurer
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)

Secretary
Darshna Mahila Kalyan Samiti
Chhatarpur (M.P.)